संख्या-1480/2026/1176/22-2-2026-17(724)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2026

विषय:- जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शफीक पुत्र मो0 अजीज, निवासी जनपद-बलरामपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-22148/प्रोबे0-5-दया0बैठक-20.05.2026, दिनांक 09.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शफीक पुत्र मो0 अजीज, जलीलडीह धोबहा, अगया बुजुर्ग, थाना-रेहरा बाजार, जनपद-बलरामपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.2018 को पीड़िता के घर में घुस कर जबरदस्ती दुष्कर्म किये जाने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-160/2018 में धारा-376(1), 452 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर के दण्डादेश दिनांक 02.03.2024 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-12.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 11 माह, 27 दिन तथा 02 वर्ष, 02 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 12.09.2025 तक लगभग 41 वर्ष है।

3- सिद्धदोष बन्दी मो० शफीक पुत्र मो० अजीज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा दिनांक 12.09.2025 तक बन्दी की 41 वर्ष की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष सश्रम कारावास के सापेक्ष दिनांक 12.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 11 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 02 माह, 03 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध एवं उसकी प्रकृति (पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शफीक (बन्दी संख्या-737/2024) मो0 अजीज, निवासी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपद-बलरामपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1480/2026/1176(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार बलरामपुर।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।